

G-202

**LL.B. PART-I (II-Semester) Examination,
2022**

**Paper –II
Law of Crime-II**

**(Criminal Procedure Code, 1973, Juvenile Justice Act, 2015
and Probation of Offenders Act)**

Time Allowed : Three Hours

Maximum Marks: 100

Note: Attempt any five questions. Each question carries 20 marks.

नोट: किन्हीं पाँच प्रश्नों के उत्तर दीजिये। प्रत्येक प्रश्न 20 अंकों का है।

1. Discuss constitution of criminal courts and their powers to awards punishment.
दांडिक न्यायालयों के गठन और दंड पारित करने की इसकी शक्तियों का वर्णन कीजिये।
2. Describe power of police to arrest persons without warrant.
वारंट के बिना व्यक्तियों को गिरफ्तार करने की पुलिस की शक्ति की

व्याख्या कीजिये।

3. What is the procedure for the demand of security for keeping peace and good behavior? Discuss.
शांति और सद्भाव बनाए रखने के लिए जमानत की मांग करने की क्या प्रक्रिया है? वर्णन कीजिये।
4. What is alimony? Who can claim alimony? Discuss rules for the alimony.
गुजाराभत्ता क्या है? कौन गुजाराभत्ता की मांग कर सकता है? गुजाराभत्ता के नियम का वर्णन कीजिये।
5. What is First Information Report? How is it getting lodged? Discuss lodging of First Information Report under section 498A of the Indian Penal Code.
प्रथम सूचना रिपोर्ट क्या है? इसे कैसे दर्ज कराया जाता है? भारतीय दंड संहिता की धारा 498क के अधीन प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने का वर्णन कीजिये।
6. Define charge. Discuss procedure to frame charge.
आरोप को परिभाषित कीजिये। आरोप को निर्मित करने की प्रक्रिया का वर्णन कीजिये।

(3)

7. Describe trial of warrant cases by Magistrate.
मजिस्ट्रेट द्वारा वारंट मामलों के विचरण की व्याख्या कीजिये।
8. Who is juvenile? Discuss constitution of Juvenile Justice Board and its functions.
किशोर कौन है? किशोर न्याय बोर्ड के गठन और इसकी कार्यों का वर्णन कीजिये।
9. Describe constitution of Child Welfare Committee. Discuss the role of Child Welfare Committee in the care and protection of rights of children.
बाल कल्याण समिति के गठन की व्याख्या कीजिये। बालकों के अधिकारों की सुरक्षा और संरक्षण में बाल कल्याण समिति की भूमिका का वर्णन कीजिये।
10. Describe powers and functions of Probation officer.
परिवीक्षा अधिकारी की शक्तियों और कर्तव्यों की व्याख्या कीजिये।